



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06062026-273231
CG-MH-E-06062026-273231

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2784]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948

No. 2784]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 4 जून, 2026

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 2878(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिला में "मनमाड-जलगांव 4th लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ कि उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) यू.टी.पी.एच, जलगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में विशेष रेल परियोजना "मनमाड-जलगांव 4th लाइन" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क.	भूमि अधिग्रहण प्रकरणाची संख्या	गांव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का जमीनधारकाचे नाव	गट न.	जमीन धारणा प्रणाली	7/12 नुसार कुल क्षेत्रफल (हे.आर.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर.)
1	50/26	पिंप्राळा	जळगांव	गांगबेन रामचंद्र पटेल व इतर	163	I	2.04	0.3582
2				मधुकर नाटु झोपे व इतर	126	I	1.26	0.0597
3				आरती धिरज सोनी व इतर	125	II	1.32	0.0284
4				किशोर हरिशंकर चौबे व इतर	124	I	2.93	0.0704
5				विमल युवराज मोरे व इतर	123	I	3.31	0.0634
6				कांतीलाल मुलचंद दायमा व इतर	122	I	1.40	0.0803
7				नरेश लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल व इतर	121	I	0.41	0.2190
8				वसंत रामचंद्र चौधरी व इतर	80	I	5.70	0.6464
9				मधुकर रामदास पाटील व इतर	57	II	1.62	0.2868
10				अनिलकुमार पुरुषोत्तम वाणी व इतर	56	I	3.28	0.5326
11				धनसिंग सुका पाटील व इतर	54	I	4.59	0.0772
12				सिताराम नथु पिंपरकर आणि कंपनी जळगावचे भागीदार व वहिवाटदार	44	I	1.85	0.3836
13				मालतीबाई अ निवृत्ती व इतर	43	I	4.02	0.3893
						कुल	33.73 (हे.आर.)	3.1953 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/MMR-JL 4th Line/Pimprala Vlg/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(Central Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 4th June, 2026

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 2878(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Manmad-Jalgaon 4th Line**” in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Special Land Acquisition Officer (1) UTPH, Jalgaon District Jalgaon** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, falling within the Special Railway Project of “**Manmad-Jalgaon 4th Line**” in the District Jalgaon in the State of Maharashtra.

SR. NO.	Land Acquisition Proposal Number	Village Name	Tehsil	Land Owners Name according to 7/12	Gutt No.	Land Holding Method	Area as per 7/12 Extracts (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
1	50/2026	Pimprala	Jalgaon	Gangaben Ramchandra Patel & Others	163	I	2.04	0.3582
2				Madhukar Naatu Zope & Others	126	I	1.26	0.0597
3				Aarti Dhiraj Soni & Others	125	II	1.32	0.0284
4				Kishor Harishankar Chaube & Others	124	I	2.93	0.0704
5				Vimal Yuvraj More & Others	123	I	3.31	0.0634
6				Kantilal Mulchand Dayma & Others	122	I	1.40	0.0803
7				Naresh Laxminarayan Khandelwal & Others	121	I	0.41	0.2190
8				Vasant Ramchandra Chaudhary & Others	80	I	5.70	0.6464
9				Madhukar Ramdas Patil & Others	57	II	1.62	0.2868
10				Anilkumar Purushottam Vani & Others	56	I	3.28	0.5326

11				Dhansing Suka Patil & Others	54	I	4.59	0.0772
12				Sitaram Natthu Pimparkar and Company, Partners and Managers of Jalgaon	44	I	1.85	0.3836
13				Malatibai A. Nivrutti & Others	43	I	4.02	0.3893
						Total	33.73 (Ha.)	3.1953 (Ha.)

[F. No. G197/MMR-JL 4th Line/Pimprala Vlg/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)